पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

वर्ष 2016 का आपराधिक विविध वाद संख्या 41151

बहादुरगंज थाना कांड संख्या 96/2012, जिला-किशनगंज से उत्पन्न

==========

1. जैनाथ झा, पिता- दामोदर झा, निवासी सुहागामारो, पी. एस. बरदह, जिला- अररिया।
2. मुस्ताक उर्फ मुश्ताक, पिता- स्वर्गीय मीर अब्दुल सुभान, निवासी -देहती, थाना- पलासी, जिला- अररिया।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य।
2. रामधारी बैठा, बी. एस. ओ.- बहादुरगंज, & स्वर्गीय शिव बरन बैठा, थाना- पालीगंज, जिला पटना।

....विपक्षीगण

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं की ओर से :- श्री राज कुमार, अधिवक्ता
श्री रोहित कुमार, अधिवक्ता
सुश्री ब्यूटी वर्मा, अधिवक्ता

राज्य की ओर से :- श्री चंद्र सेन पं. सिंह, एपीपी

==========

- ***मुख्य मुद्दे:***

*1. क्या धारा 7, **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मुकदमा वैध था, जबकि कोई नियंत्रण आदेश (Control Order) लागू नहीं था।*

*2. क्या धारा 414, **भारतीय दंड संहिता** (IPC) के तहत आरोप सिद्ध किए जा सके।*

3. क्या निचली अदालत द्वारा याचिकाकर्ताओं को आरोप मुक्त करने की अर्जी खारिज करना कानून के अनुसार था।

- ***न्यायालय की टिप्पणियां:-*** *धारा 7, आवश्यक वस्तु अधिनियम की प्रासंगिकता:- आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 का उपयोग तभी किया जा सकता है जब धारा 3 के तहत कोई नियंत्रण आदेश (Control Order) उल्लंघित किया गया हो। - अभियोजन ने कोई नियंत्रण आदेश प्रस्तुत नहीं किया, जिससे साबित हो कि गेहूं का परिवहन प्रतिबंधित था। Ranjeet Paswan बनाम बिहार राज्य (2009 SCC OnLine Pat 1321) में भी यही सिद्ध किया गया था कि बिना नियंत्रण आदेश के धारा 7 लागू नहीं हो सकती।*

- *धारा 414, IPC की प्रासंगिकता:- धारा 414 का उपयोग तब होता है जब कोई वस्तु चोरी की हो और अभियुक्त इसे छिपाने का प्रयास करे।- न्यायालय ने पाया कि गेहूं के संदर्भ में ऐसा कोई आरोप या साक्ष्य नहीं था कि यह चोरी की संपत्ति थी।*

- *निचली अदालत का दृष्टिकोण - निचली अदालत ने यह मान लिया कि अभियोजन के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, लेकिन नियंत्रण आदेश के अभाव में मामला टिक नहीं सकता। State of Haryana बनाम भजन लाल [(1992 Supp (1) SCC 335)] के सिद्धांतों का पालन करते हुए, न्यायालय ने कहा कि अभियोजन की प्रक्रिया न्याय का दुरुपयोग है।*

- *आरोप तय करने के मानक:-Union of India बनाम प्रफुल्ल कुमार समल [(1979) 3 SCC में कहा गया कि आरोप तय करने के लिए केवल प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य देखे जाने चाहिए, लेकिन यहां अभियोजन के साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे ।*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

न्यायालय - माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक आदेश

तारीखः27-06-2024

वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है। विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी,

किशनगंज के द्वारा बहादुरगंज थाना कांड संख्या - 96/2012 से उत्पन्न जी.आर. संख्या - 668/12 सी. आई. एस. संख्या - 4924/2024 एवं विचारण संख्या- 729/2016 में आवेदक के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा - 414 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत मामले से उन्मुक्त किए जाने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला सूचक द्वारा दायर लिखित रिपोर्ट से सामने आया है कि एक ट्रक का पंजीकरण संख्या-बी. आर.-19-9263 और पंजीकरण संख्या वाला एक ट्रैक्टर,बी. आर.-11 एल.-1905 में ट्रक में 50 किलोग्राम वजन के 160 बोरे और ट्रैक्टर में 50 किलोग्राम वजन के 125 बोरे पाए गए और मामले में आगे अभियोजन पक्ष के मामले अनुसार यह अनाज एफ. सी. आई. का था।

3. याचिकाकर्ताओं और राज्य के विद्वान अधिवक्तओं को सुना।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। याचिकाकर्ता नंबर -1, जैनाथ झा, बी. आर.-19-9263 नंबर वाले ट्रक के मालिक हैं, जबकि याचिकाकर्ता संख्या -2 मुस्ताक @मुश्ताक गेहूँ का व्यापारी था। उन्होंने आगे कहा कि गेहूं के के व्यापार के संबंध में किसी भी प्रकार का उपयुक्त सरकार के द्वारा कोई नियंत्रण आदेश जारी नहीं किया गया है, इसलिए, हर कोई गेहूं का व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के लागू होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

5. याचिकाकर्ता की आरे से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आगे प्रस्तुत किए गये प्रस्तुतीकरण के अनुसार, यह भी कोई आरोप नहीं है कि विचाराधीन अनाज चोरी के लिए दर्ज किसी भी आपराधिक मामले की संपत्ति है। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 414 को भी लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

6. इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और इस आदेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 482 के तहत निरस्त किया जा सकता है।

7. हालांकि, राज्य की ओर से एपीपी प्रस्तुत करते है कि विवादित आदेश में कोई अवैधता या कमी नहीं है। अभिलेख पर सामग्री के अनुसार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ है।

8. मैंने अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया और पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया।

9. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 व 7 के तहत दिए, गए किसी भी आदेश के उल्लंघन के मामले में दंड का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 3 आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण आदि को नियंत्रित करने हेतु आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 को लागू करने के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता नियंत्रण आदेश का उल्लंघन होना चाहिए। लेकिन गेहूं के व्यापार के संबंध में लिखित रिपोर्ट में ऐसा कोई आदेश नहीं तथा नियंत्रण आदेश के अभाव में, हर कोई इस

तरह के अनाज का व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए, यदि याचिकाकर्ता सहित अभियुक्त व्यक्तियों को गेहूं ले जाते हुए पाया जाता है, तो कोई अपराध नहीं माना जाता है।

10. 2009 में **रणजीत पासवान बनाम बिहार राज्य एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 1321/2009** में न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि यह सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय दोनों के निर्णयों के एक समूह द्वारा तय किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत अभियोजन आमंत्रित करने के लिए, एफ. आई. आर. में यह खुलासा करना चाहिए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन किया गया है और फर्दबयान या शिकायत में इस तरह का बयान या घोषणा के अभाव में, उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत कोई अभियोजन नहीं है। **रामावतार प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन पट 1245) और गुणानंद प्रसाद @गुणानंद साह बनाम बिहार राज्य और अन्न, (2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन पट 1218)** के मामले में भी इस अदालत ने ऐसा ही विचार रखा है।

11. अरविंद कुमार बनाम बिहार राज्य, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 1369 में, इस न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया है कि कानून के तय किए गए सिद्धांत के अनुसार, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता है। निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए वस्तु अधिनियम बनाया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम या आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधिकार के तहत घोषित नियंत्रण आदेशों के

प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए, केवल प्रतिनिधि या पी. डी. एस. डीलरों पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

12. इस बात का भी कोई आरोप नहीं है कि विचाराधीन अनाज दर्ज मामले में चोरी की संपत्ति है।

13. इस प्रकार, मामले के कथित तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार कोई अपराध नहीं माना जाता है।

14. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय को अभियोजन सामग्री और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे उभरने वाले तथ्य, यदि उनके अंकित मूल्य पर लिए जाते हैं, तो कथित अपराध का गठन करने वाले सभी घटकों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं, हालांकि न्यायालय से अभिलेख पर सामग्री के प्रोबेटिव मूल्य की जांच करने या एक लघु परीक्षण करने की उम्मीद नहीं की जाती है।इस संबंध में निम्नलिखित अधिकारियों को संदर्भित किया जा सकता हैः

(i) भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल, (1979) 3 एस. सी. सी. 4
(ii) एम. पी. राज्य बनाम मोहनलाल सोनी (2000) 6 एस. सी. सी. 338
(iii) सोमा चक्रवर्ती बनाम राज्य (2007) 5 एस. सी. सी. 403
(iv) ओंकार नाथ मिश्रा बनाम राज्य, (2008) 2 एस. सी. सी. 561 (वी)
(v) पी. विजयन बनाम केरल राज्य, (2010) 2 एस. सी. सी. 398 (वी)
(vi) सज्जन कुमार बनाम सी. बी. आई., (2010) 9 एस. सी. सी. 368
(vii) अमित कपूर बनाम रमेश चंदर, (2012) 9 एस. सी. सी. 460
(viii) शरण्या बनाम भारती, (2021) 8 एस. सी. सी. 583 पटना उच्च न्यायालय सी. आर. एमआईएससी।
(ix) सी. बी. आई. बनाम आर्यन सिंह, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 379
(x) स्टेट ऑफ टी. एन. बनाम आर. सौन्दिरारासु, (2023) 6 एससीसी 768)

15. इस मामले में यह पहले से ही पाया जा चुका है कि अभियोजन पक्ष की रिकॉर्ड सामग्री के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है। इसलिए, विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए इसे निरस्त किया जा सकता है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।

16. तदनुसार, याचिका की अनुमति दी जाती है, जिसमें विद्वान अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, किशनगंज द्वारा बहादुरगंज थाना कांड संख्या- 96/2012 से उत्पन्न, जी. आर. संख्या- 668/2012 (सी. आई. एस. सं. 4924/2014), एवं विचारण संख्या- 729/2016 में दिनांक 01.07.2016 के पारित विवादित आदेश को रद्द एवं निरस्त कर दिया जाता है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

एस. अली/चंदन

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।